संख्या- 308 /2025/ 2831 /चार-2025-1850918

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 2025**

विषय:- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए 'मिशन शक्ति' विशेष अभियान के छठवें चरण के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित मन्दिरों में कराये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1848/सं0नि0-15(77)/2025-26 दिनांक 19 सितम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु 'मिशन शक्ति' विशेष अभियान के छठवें चरण में प्राप्त उच्च निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कार्ययोजना के अनुसार प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है:-

- शारदीय नवरात्रि के अन्तर्गत शक्ति आराधना- प्रदेश के निम्न 25 शक्तिपीठ स्थलों / देवी मंदिरों पर देवी गीतों की परम्परा पर आधारित देवी गायन एवं दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन कराया जाना है:-

माँ विंध्यवासिनी देवी (विंध्याचल)	मीरजापुर
ज्वाला देवी	सोनभद्र
सीता समाहित स्थल	भदोही
अलोपी देवी	प्रयागराज
कदवासिनी	कौशांबी
पाटेश्वरी देवी/ देवीपाटन	बलरामपुर
ललिता देवी (नैमिषारण्य)	सीतापुर
शाकंभरी देवी	सहारनपुर
कात्यायनी देवी	मथुरा
माँ शीतला चौकिया धाम	जौनपुर
बेल्हा देवी	प्रतापगढ़
विशालाक्षी देवी	वाराणसी
चंडिका देवी	उन्नाव
देवकाली मंदिर	औरैया
माँ तर्कुलहा देवी धाम	गोरखपुर
माँ शीतला माता स्थल	मऊ

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ललिता देवी	प्रयागराज
शिवानी देवी	चित्रकूट
गायत्री शक्ति पीठ	हमीरपुर
बैरागढ़ माता, कोंच	जालौन
कुष्माण्डा देवी, घाटमपुर	कानपुर देहात
शीतला माता मंदिर	मैनपुरी
चामुण्डा माता मंदिर	फिरोजाबाद
चंद्रिका देवी मंदिर	लखनऊ
संकटा देवी मंदिर	लखनऊ

(2) उपरोक्तानुसार प्रदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर निम्नानुसार अनुमानित व्यय का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	कार्य	अनुमानित व्यय विवरण	अभ्युक्ति
1	कलाकारों का मानदेय एवं यात्रा व्यय	50,000 X 25 X 10 = 1,25,00,000/-	25 स्थलों पर 10 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं उनके यात्रा व्यय पर शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार किया जाना प्रस्तावित है।
2	वॉलिन्टियर पर व्यय	1,000 X 25 X 10 = 2,50,000/-	25 स्थलों पर 10 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों से समन्वय कर सांस्कृतिक प्रस्तुति कराने हेतु
3	कार्यक्रम की प्रस्तुति संबंधी अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय	50,000 X 25 = 12,50,000/-	चयनित मंदिरों में नवरात्रि के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों हेतु 50 हजार प्रति मंदिर की दर से 10 दिवसीय कार्यक्रम की व्यवस्थाओं यथा- स्टैण्डी, बैकड्राप, दरी बिछावन, साउण्ड आदि पर व्यय
4	अभिलेखीकरण	20,000 X 25 = 5,00,000/-	25 मंदिरों में 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की वीडियो, फोटोग्राफी एवं कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त अभिलेखीकरण का कार्य
(रूपये एक करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)		1,45,00,000/-	

2. **उपर्युक्त के क्रम में ''महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालंबन के लिए विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अंतर्गत शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने'' विषयक संस्कृति विभाग के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-306/ 2025/ 2739/ चार-2025-1850918, दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए** मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या 1848/सं0नि0-15(77)/2025-26 दिनांक 19 सितम्बर, 2025 के प्रस्तावानुसार महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए 'मिशन शक्ति' विशेष अभियान के छठवें चरण के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित मन्दिरों में कराये जाने वाले 'सांस्कृतिक कार्यक्रम' पर होने वाले व्यय **रू0 145.00 लाख (रू0 एक करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

3. शर्तें/ प्रतिबंध:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सांस्कृतिक आयोजनों के संबंध में आयोजन स्थल का पता, जियोटैग फोटो, जी0पी0एस0 लोकेशन तथा कार्यक्रम प्रबन्धक का सम्पर्क नम्बर, कलाकारों का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, कार्यक्रमों का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संस्कृति विभाग के पोर्टल https://upculture.up.nic.in/hi/Navratri-2025 के माध्यम से जिला स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अपडेट किया जायेगा।

(12) प्रदेश स्तरीय उक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्यवन करने तथा सभी प्रकार के समन्वय करने के लिए श्रीमती रीनू रंगभारती, सहायक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (मोबाइल नं0- 9415068031) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42 अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अमृत अभिजात
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10. संबंधित जिलाधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
11. महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय , उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
13. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
14. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
15. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।